विचार बिन्दु

दो अर्थों वाले शब्द बोलकर, किसी विशेष शब्द पर जोर देकर, या आँख के इशारे से भी झूठ बोला जाता है। इस प्रकार का झूठ स्पष्ट शब्दों में बोले गए झूठ से कहीं बुरा है। –रस्किन

नई पीढ़ी भी पढ़ती है!

कुछ बातें इतनी अधिक बार कही जाती हैं कि लोग बिना किसी संशय के, और बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें सच मान बैठते हैं। ऐसी अनगिनत बातों में से एक बात यह है कि नई पीढ़ी कुछ भी नहीं पढ़ती है। मैं जब भी यह बात सुनता हूं, मेरे मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं। पहला तो यही कि आखिर नई पीढ़ी है कौन-सी? दूसरा यह कि हम कहां की नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं? भारत की नई पीढ़ी की या दुनिया भर की नई पीढ़ी की? तीसरी बात यह कि हमें इस बात का पता कैसे चला कि नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है। चौथी बात यह कि जो इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, छापी जा रही हैं और बेची जा रही हैं, उनका उपभोक्ता कौन है? ऐसे ही और भी अनेक सवाल बराबर मन में उठते रहे हैं। आज इन सवालों पर कुछ चर्चा कर रहा हूं।

मेरा यह मानना है कि हमें नई पीढ़ी उसे मान लेना चाहिए जिसे आजकल जेन जी (उाहँ) कहा जाता है। यह वह पीढ़ी है जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यहीं यह भी बताता चलूं कि इसके पहले वाली पीढ़ी, जिसका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ, को मिलेनियल्स कहा जाता है। जेन जी के बाद वाली पीढ़ी, जिसका जन्म 2013 के बाद हुआ उसे जेनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जेन जी की। भारत में जेन जी कुल आबादी का लगभग बीस प्रतिशत है। यह वह पीढ़ी है जो डिजिटल युग में जन्मी और बड़ी हुई है। इसके लिए स्मार्ट फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह बहुत आम और सहज सुलभ हैं। इन सबका असर इस पीढ़ी की पढ़ने की आदतों पर भी पड़ा है। अगर हम केवल भारत की बात करें तो इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज़ नहीं है कि इस नई पीढ़ी की पढ़ने की आदत में कमी आई है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि इस जेन जी के 35 प्रतिशत युवाओं को पढ़ना एकदम नापसंद है और 45 प्रतिशत कभी-कभार मनोरंजन के लिए कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ने की आदत में कमी का एक प्रमुख कारण यह ह कि इस पीढ़ी के लोगों की एकाग्रता अवधि (अटेंशनस्पान) बहुत तेज़ी से घटी है। फिर भी इस पीढ़ी के कुछ लोग पढ़ते हैं। जब यह जानने का प्रयास किया गया कि वे क्या पढ़ना पसंद करते हैं तो पता चला कि वे रोमांस, फैण्टेसी, स्वय सहायता पुस्तकें, ऐतिहासिक और मिथकीय कथा साहित्य विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं। इस पीढ़ी की दिलचस्पी साहित्यिक कृतियों में कम हुई है, हालांकि कुछ लोग क्लासिक्स पढ़ते हैं। वैसे सारे ही पाठकों को अब कथा की बजाय कथेतर अधिक रुचने लगा है। यह जो नई पीढ़ी है इसे गंभीर साहित्यिक कृतियों की बजाय वह सामग्री अधिक आकर्षित करती है जो उनके जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जा सके। यह पीढ़ी पारंपरिक किताब की बजाय अन्य डिजिटल माध्यमों पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करती है और यह बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि भारत में सन 2025 में जेन जी की स्मार्टफ़ोन पर की जाने वाली पढ़ाई में पूरे 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अपने देश में इस जेन जी समूह का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा स्मार्टफ़ोन पर ही सब कुछ पढ़ लेता है। एक और मज़े की बात यह है कि यह पीढ़ी समाचार वगैरह तो अंग्रेज़ी में पढ़ती है लेकिन अन्य सामग्री ख़ासतौर पर दृश्य श्रव्य माध्यमों पर हिंदी में सुनती है।

इस बात को स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत की जेन जी हिंदी पर अंग्रेज़ी को वरीयता देती है। उसने मान लिया है कि सफलता के दरवाज़े खोलने की सामर्थ्य हिंदी से ज़्यादा अंग्रेज़ी में है। शायद यह भी एक वजह है कि जब यह जानने का प्रयास किया गया कि अगर जेन जी साहित्य पढ़ती है तो किन लेखकों को अधिक पढ़ती है, तो अधिक नाम उन लेखकों के सामने आए जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं। जैसे अंकुर वारिकू, निधि उपाध्याय, अनुजा चौहान। चेतन भगत। अमीष त्रिपाठी, अनुजा सुब्रह्मण्यम, जुनीचोपड़ा, भविनसरखेड़ी, देवदत्त पट्टनायक और मणिका सांघी। हां, कुछ लोग हिंदी लेखकों को भी पढ़ते हैं और जो नाम सामने आए उनमें उदयप्रकाश, गीतांजलि श्री, प्रवेश यादव (2025 के साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार विजेता), विनोद कुमार शुक्ल और अलका सरावगी प्रमुख हैं। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा जैसे लेखक तो सदा से ही सबके प्रिय रहे हैं।

कभी साहित्य की भाषा संस्कृत थी, अब हिंग्लिश होने लगी है। तो बदलाव हमेशा होते हैं। अगर नई पीढ़ी की पढ़ने की रुचियां बदली हैं तो बजाय उन रुचियों की लानत मलामत करने के, हमें सदाशयता के साथ उन बदलावों को समझना होगा। इसी तरह जो सृजन कभी श्रुति परंपरा से ही प्रसारित होता था, वह ताड़ पत्र, हाथ से बनाई गई प्रतिलिपियों की राह से होता हुआ आज डेस्कटॉप पब्लिशिंग से भी आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर आज की पीढ़ी कागज़ पर छपी किताब न पढ़कर टैब या स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन पर पढ़ती है या उसे ऑडियो बुक के रूप में सुनती है तो इन बदलावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का समय भाग दौड़ का है। समय का सबके पास अभाव है। समय का भी और धैर्य का भी।

अब ज़रा भारत से बाहर निकल कर वैश्विक जेन जी की बात भी कर लें। यह जानना बहुत चौंकाने वाला हो सकता है कि जेन जी को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली पीढ़ी माना जाता है। एक अध्ययन बताता है कि इस पीढ़ी के लोग हर माह औसतन 2.1 मुद्रित पुस्तक खरीदते हैं, जबकि इसके पहले वाली मिलेनियल्स पीढ़ी के लोग 1।8 छपी हुई किताब ही खरीदते थे। किताबों के खरीदने की आदत की इस वृद्धि में बुक टॉक की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। बता दूं कि बुक टॉक उस टिक टॉक का जो भारत में फिलहाल प्रतिबंधित है, एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन बुक टॉक ने भारत के युवाओं की पढ़ने की आदत को भी बढ़ाया है। यह माना जाता है कि बुक टॉक ने दुनिया भर में मुद्रित किताबों की बिक्री में 18 प्रतिशत की वृद्धि की है। बुक टॉक पर पुस्तकों की चर्चा, उनकी समीक्षा आदि होती है। वैश्विक स्तर पर जेन जी को जो लेखक सर्वाधिक प्रिय हैं उनमें से कुछ ये हैं: कोलीनहूवर, रूपी कौर, एंजी थॉमस, जॉन ग्रीन, मैडेलिन मिलर, निकोलायून, एमांडागोर्मन और युवा लेखकों में ख़ास तौर पर ए.एल. स्लेड तथा ताशीभुइया। यह पीढ़ी फिक्शन भी पढ़ती है और रहस्य रोमांच, थ्रिलर, फैण्टेसी में रुचि रखती है। इनके अलावा सेल्फ हेल्प, लाइफ स्टाइल, गोल सेटिंग और नॉन फिक्शन में मेमॉयर इन्हें बहुत पसंद हैं।

जहां तक बात मुद्रित किताबों की है, मैं हमेशा यह सवाल करता हूं कि अगर लोग (जिनमें युवा पीढ़ी भी शामिल है) पढ़ नहीं रहे हैं तो इतनी सारी किताबें लिखी किनके लिए जा रही हैं? छप क्यों रही हैं? प्रकाशन गृह बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? नए नए प्रकाशक क्यों बाज़ार में आ रहे हैं? ज़ाहिर है कि किताबें छप रही हैं और बिक भी रही हैं। देश भर में जो इतने सारे साहित्य उत्सव हो रहे हैं और वहां जो बड़ी भीड़ देखी जा रही है, क्या उसकी किताबों में कोई रुचि है ही नहीं? अगर साहित्य उत्सव को एक व्यवसाय मानकर भी बात करें तो कोई व्यवसाय उपभोक्ता के बगैर तो नहीं चल सकता है।

असल में जब पिछली पीढ़ी के हम लोग यह कहते हैं कि नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है तो आम तौर पर हमारा आशय यह होता है कि नई पीढ़ी साहित्य नहीं पढ़ती है, वह साहित्य जो हमें बहुत प्रिय है। इस बात को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि समय के साथ रुचियां बदलती हैं। किसी ज़माने में लोग के.एल. सहगल को सुनते थे, फिर बेग़म अख़्तर को सुनने लगे और उसके बाद जगजीत सिंह प्रिय हो गए। अब वे भी पुराने हो गए हैं। कभी महाकाव्य लिखे जाते थे, वहां से चलते-चलते हम उस समकालीन कविता तक आ गए जिसमें न तुक है न लय (पारंपरिक अर्थ में)। कभी साहित्य की भाषा संस्कृत थी, अब हिंग्लिश होने लगी है। तो बदलाव हमेशा होते हैं। अगर नई पीढ़ी की पढ़ने की रुचियां बदली हैं तो बजाय उन रुचियों की लानत मलामत करने के, हमें सदाशयता के साथ उन बदलावों को समझना होगा। इसी तरह जो सृजन कभी श्रुति परंपरा से ही प्रसारित होता था, वह ताड़ पत्र, हाथ से बनाई गई प्रतिलिपियों की राह से होता हुआ आज डेस्कटॉप पब्लिशिंग से भी आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर आज की पीढ़ी कागज़ पर छपी किताब न पढ़कर टैब या स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन पर पढ़ती है या उसे ऑडियो बुक के रूप में सुनती है तो इन बदलावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का समय भाग दौड़ का है। समय का सबके पास अभाव है। समय का भी और धैर्य का भी। जैसे हम जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं उसी तरह सृजन का आस्वाद भी बहुत जल्दी ले लेना चाहते हैं। ऐसे में दीर्घ रचनाओं का स्थान अगर लघु और अत्यंत लघु रचनाओं ने ले लिया है, सृजन का रूप बदल रहा है। अगर रील्स से यह पीढ़ी सृजन का आस्वाद लेती है तो इसे भी बदलाव के एक आयाम के रूप में देखा जाना चाहिए।

हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी का बहुत कुछ छोड़कर अपने लिए नया रचती-गढ़ती है। आज की जेन जी यही कर रही है। जो हमसे अलग है उसे नकारना ठीक नहीं। उसके प्रति सद्भावी रहकर उसे समझना होगा। मैंने यही करने का प्रयास किया है।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

रोहिंग्या मुद्दे पर सीजेआई बधाई के पात्र हैं

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

क्या हम रोहिंग्या लोगों का रेड कार्पेट पर स्वागत करें? भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत कुमार ने हाल ही में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से यह सवाल पूछा। यह चिंता मानवीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय कानून से निपटते समय संवैधानिक नैतिकता के मुद्दे के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी दिखाती है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों और उन लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत के कानूनी ढांचे के भीतर कानूनी दर्जा रखते हैं। कुछ खास कानूनी प्रावधान हैं जो नागरिकता के मुद्दे से निपटते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के भाग दो के तहत अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हैं। यह भारत के नागरिक की स्थिति और अधिकारों के महत्व और दायरे को दर्शाता है। भारत के संविधान के भाग तीन के तहत अनुच्छेद 32 राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी बोनाफाइड्स साबित करने का निर्देश दिया है।

भारत के संविधान को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें भारत के लोगों के वर्गीकरण को समझना होगा। पहला, भारत के वे लोग जो संविधान के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए कानूननागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत के नागरिक हैं। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है दूसरा, वे लोग जो आप्रवास और विदेशियों का अधिनियम, 2025 के अनुसार पासपोर्ट और वीज़ा के रूप में सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति लेकर भारत में निवास करते हैं या बस जाते हैं। और तीसरा, वे लोग हैं जो सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बिना भारत में रहने या बसने में कामयाब हो गए हैं, जिन्हें अवैध प्रवासी या घुसपैठिए कहा जाता है। नागरिकों, व्यक्तियों और भारत की ज़मीन पर बिना किसी कानूनी दर्जे वाले तीसरे वर्ग के लोगों के मौलिक अधिकारों में साफ़ अंतर है। कानूनी तौर पर, भारत ने आज तक 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किए हैं। यह व्यापक रूप से बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को धर्मशाला न बनाने के कारण इस कन्वेंशन की पुष्टि न करने का सही कारण बताया है। इसलिए, भारत में शरणार्थियों के नाम से कोई वर्ग मौजूद नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून में शरणार्थियों का कोई कानूनी दर्जा और मान्यता नहीं है।

समानता का अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार भारत के सभी लोगों को मिलते हैं, चाहे वे नागरिक हों या कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त लोग। लेकिन आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार सिर्फ़ भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं और इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 के अपने आदेश में भी यही बात मानी है। इसलिए, भारत के संविधान बनाने वालों ने एक तर्कसंगत वर्गीकरण की कल्पना की थी। और भारत गणराज्य के लागू होने के बाद से, यानी 26 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट भी इसी का पालन कर रहा है। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी घुसपैठिया या अवैध प्रवासी भारत में रहने या बसने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। भारत में निवास और बसने के उद्देश्य से अनुच्छेद 19(1)(ई) केवल इस देश के नागरिकों के लिए कानून के ढांचे के भीतर उपलब्ध है और रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों द्वारा इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

प्राचीन भारत इस धरती पर सबसे पुरानी सभ्यताओं का उद्गमस्थल रहा है। विविधता, सबको साथ लेकर चलना, लोकतंत्र और खुलापन इस प्राचीन ज़मीन की पहचान रहे हैं। भारत को इस पर गर्व है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। लेकिन भारत की 15000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश (4,096.7 किमी) और सबसे छोटी अफगानिस्तान (106 किमी) के साथ है, जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है। इसमें चीन (3,488 किमी), पाकिस्तान (3,323 किमी), नेपाल (1,751 किमी), म्यांमार (1,643 किमी) और भूटान (699 किमी) के साथ बड़ी सीमाएँ शामिल हैं। साथ ही, अस्थिर और बदलती दुनिया की व्यवस्था, आतंकवाद का खतरा, अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियाँ ऐसी ही चिंताओं को दर्शाती हैं।

मानवीय चिंताएँ भारत के नागरिकों के लिए सीमित संसाधनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकतीं। गरीबी अभी भी भारत के लाखों नागरिकों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासियों को सब्सिडी वाला भोजन, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएँ देना तथाकथित एक्टिविस्टों के परोपकारी अहंकार (सात्विक अहंकार) को ही बढ़ाएगा। जो मुद्दे सीधे तौर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हैं, उन्हें हर हाल में इंडिया फर्स्ट मानसिकता के साथ निपटाया जाना चाहिए। इससे कम कुछ भी प्राथमिकताओं की सूची और अंतर्राष्ट्रीय कानून की समझ की कमी को दिखाएगा। राष्ट्र धर्म का बोध लोकतंत्र के सभी स्तंभों-विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में अति आवश्यक है।

खबर है कि कुछ सेल्फ-प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट्स ने भारत के चीफ जस्टिस को एक लेटर साइन करके भेजा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के शरणार्थियों के मुद्दे पर उनकी टिप्पणियों पर बात की है। ऐसा लगता है कि पत्र की विषयवस्तु न्यायपालिका को प्रभावित करने और वांछित सहमति प्राप्त करने के गुप्त उद्देश्यों से लिखी गई है। भारतीय संविधान की योजना के अनुसार, यह मुद्दा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित किया जाना चाहिए, न कि न्यायपालिका को। हाल ही में, कैंडल लाइट मार्च की तरह, इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में आने का एक ट्रेंड और टूलकिट बन गया है, जहाँ भारत में कुछ लोग संवैधानिक नैतिकता और इंटरनेशनल कानूनों का उपदेश देना शुरू कर देते हैं। लेकिन राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की मांग है कि संविधान के मूल्यों का उपदेश देने वाले लोगों को वर्तमान अस्थिर विश्व परिदृश्य में भारत को केंद्र में रखते हुए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
अधिवक्ता,
राजस्थान उच्चन्यायालय
जयपुर

लोकतंत्र में विधानों के प्रेरक स्रोत

राम निवास बैरवा

इन दिनों कानूनों की चीर-फाड़ का दौर चल रहा है। पिछले साल नवंबर, 2024 में संविधान के अनुच्छेद 39 के साठ दशक पुराने मामले में नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले पर दो जजों ने शेष सात जजों के फैसले पर ऐतराज दर्ज किया था। यह संविधान के प्रवधानों की व्याख्या से जुड़ा था। अभी राज्यपालों और राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों को अनिश्चित काल तक रोके रखने का मामला, बिहार में मतदाता सूचियों में असामयिक संशोधन के मामले में चुनाव आयुक्त की भूमिका का मामला, आदि की सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। जो भी तर्क-वितर्क सुनने को मिल रहे हैं उनमें व्यक्तिगत बचाव और संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रश्न बहुत ही ज्यादा मुखरित हो रहा है।

स्पष्ट है कि प्रत्येक गुट की, प्रत्येक समुदाय की, प्रत्येक वर्ग की अपनी-अपनी आवश्यकताएं होती हैं और उनके प्रतिद्वंद्वी गुट, समुदाय या वर्ग के हाथों में कानून बनाने का अधिकार होने पर वह कानून बनाते समय अपने हितों को प्राथमिकता देता है, अपने लिये विशेष सुरक्षा प्रावधान तैयार करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रतिरोध को दबाने के प्रावधान भी, सामाजिक आवश्यकता के नाम पर करता है।

इस प्रकार- वर्तमान समय में प्रचलित कानूनों के अंतर्निहित स्रोतों और प्रवाहों को सात श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जाहिर है, ये श्रेणियां प्रचलित श्रेणियां नहीं हैं जिन्हें सिविल कानून, अपराध कानून, कराधान कानून, श्रम कानून या इसी प्रकार के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये हैं–

नियमन करने वाले कानून; उन्मूलन करने वाले कानून; प्रतिबंधित करने वाले कानून; सीमित करने वाले कानून;–

संरक्षण देने वाले कानून; सुसाध्य/परिस्थितियां उपलब्ध कराने वाले कानून; तथा प्रगति-मूलक कानून।

नियमन करने वाले कानून (Regulating Law) : सामान्यत: प्रत्येक कानून किसी न किसी मामले का नियमन करने के लिए माना जाता है। परन्तु इसके विश्लेषण में ऐसे कानून उन्हीं विषयों और मामलों का नियमन करते पाये जाते हैं जिनको लक्ष्य कर इन्हें बनाया जाता है। इस प्रकार के कानून कराधान से संबंधित भी हो सकते हैं और कल्याणमूलक भी।विषयों का संचालन करने वाली कार्यपालिका/व्यवथापिका, जिसे भारत के संदर्भ में 'नौकरशाही' भी कह सकते हैं, के सहायक होते हैं, जो कि अन्तत: आम जनता के शोषण का माध्यम बन जाते हैं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के स्त्रोत बन जाते हैं।

उन्मूलन करने वाले कानून (Eliminating Law) उन्मूलन करने वाले कानूनों के अन्तर्गत किसी या किन्हीं मामलों को समाप्त करना या उन्हें हटाना होता है। ऐसे कानूनों के द्वारा निश्चित रूप से समाज की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है तथा उसके उज्जवल भविष्य के द्वारा खोले जा सकते हैं। ऐसा कानून अभी तक भारत में नहीं बनाया गया है, बावजूद इसके कि संविधान में इस प्रकार के कानूना बनाने की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। ऐसे कानून नहीं बना पाना संविधान के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रतिबंधित करने वाले कानून (इ्दिपंग्गहु ै) : प्रतिबंधित करने वाले कानून आम जनता पर या किसी वर्ग पर (स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी वर्ग पर) कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए होते हैं, कि फलां काम नहीं किया जाए या ऐसा नहीं किया जाये या वैसा नहीं किया जाये। ऐसे कानून प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के पूरक होते हैं, जिन मामलों, परिस्थितियों को तत्काल समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु उन पर फिलहाल तब तक रोक लगा दी जाती है जग तक कि उन्हें समाप्त करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सकतीं। जैसे, गरीबी उन्मूलन और असमानता को मिटाने जैसे विषय इसी श्रेणी में आते हैं। फिलहाल, अभी तक बनाये गये इस प्रकार के कानूनों के संबंध में कहने को तो यही प्रचारित किया जाता है कि ऐसे कानून के माध्यम से लगाये गये कथित प्रतिबंध आम जनता के हित में हैं, परन्तु ये निश्चित तौर पर सत्ताधारी वर्ग के हित में ही होते हैं। इससे सत्ताधारी वर्ग के हितों और विचारधरा को ही बल प्रदान किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से इन प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के द्वारा उन वर्गों, गुटों या समुदायों का अस्तित्व समाप्त करने वाले प्रयास नहीं होता है, क्योंकि उनके अस्तित्व से ही सत्ताधारी वर्ग का अस्तित्व बना रहता है।

सीमित करने वाले कानून (Limiting Law) : सीमित करने वाले कानूनों के माध्यम से किसी वर्ग विशेष समुदाय पर पाबंदी लगाई जाती है किस वह किसी मामले विशेष में एक सीमा से अधिक कुछ हासिल नहीं करे या अपेक्षा नहीं करे। इस प्रकार के कानून दोहरे रूप में कार्य करते हैं, एक तरफ एक वर्ग को एक सीमा तक सीमित करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं तो दूसरी तरफ अन्य समुदाय या वर्गों को इस बात की छुट दे देते है कि वे उस उल्लिखित सीमा से आगे उपलब्ध साधन-सुविधाओं का उपभोग कर सके। ऐसे मामलों में एक वर्ग को सीमित दायरे में रहना होता है, जबकि अन्यों को सीमा से बाहर भी। उदाहरण के लिए, निजता और व्यक्त करने की स्वतंत्रता, न्याय के समक्ष समानता का अधिकार के मामले।

संरक्षण देने वाले कानून (Protecting Law) : संरक्षण देने वाले कानून वे होते है जो किसी वर्ग को या किसी मामले को जैसा का तैसा रखने के लिए बनाये जाते हैं। इनकी वजह से संरक्षित वर्गों के मामलों को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता है या प्रगति के लिए बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता।

सुसाध्य/परिस्थितियां उपलब्ध कराने वाला कानून (Facilitating Law) : इस प्रकार समाज विकास की राह पर आगे बढ़ता है। परन्तु, यदि इनके पीछे उपरोक्त वर्णित दूसरी व तीसरी श्रेणी के कानून का सा अन्तर्य भी होगा तो, यह केवल किसी वर्ग विशेष की ही सेवा करेगा, उस ही को सुविधाएं प्रदान कर साधन-सम्पन्न व शक्तिशाली बनाएगा।

प्रगतिमूलक कानून (Elivating Law) : प्रगतिमूलक कानून भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें प्राप्त करने के अवसर भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के कानून किन्हीं परिस्थितियों का उन्मूलन करने और किन्हीं को अवसर उपलब्ध कराने वाले कानूनों की अन्तर्धाराओं की मुख्य विशेषताओं के साथ संरक्षण प्रदान करने के लिए भी होते हैं।

किसी भी देश के विभिन्न कानूनों में ये ही विचारधाराएं और प्रेरक तत्व विद्यमान मिलेंगे।

यदि उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाए। जबकि प्रत्येक देश के संविधान में ये ही प्रेरक तत्व केन्द्रीभूत रूप से मिलते हैं, चाहे वह संविधान राजतंत्र के अधीन लोकतन्त्र का हो या राष्ट्रपति शासन पद्धति के लोकतन्त्र का हो। लोकतन्त्र में इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि वह राजतंत्र के अधीन है या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रीय पद्धति का है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि संविधान में किस वर्ग को मुखरित किया गया है, किस वर्ग को अवसरों से वंचित रखने के अन्तर्निहित प्रावधान हैं और यदि सर्वाधिक लोकतंत्र के अवसर आम जनता को उपलब्ध करवाने के प्रावधान कर भी दिए गए हैं तो व्यवहार में उनका क्या हश्र हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से अभिजात्य, कुलीन, दबदबा बना चुके वर्ग क्या अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए उन प्रावधानों को लागू करने में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किए हुए हैं, उनका उल्लंघन अवहेलना करना क्या वे अधिकार नहीं मानते?

- राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

शक्करगढ़ में खाद नहीं मिलने से कई किसान निराश होकर लौटे

■ खाद वितरण को लेकर किसानों की भारी भीड़, 780 कट्टे ही बांटे

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में शक्करगढ़ कृषि विभाग के निर्देशन में शक्करगढ़ में आधार कार्ड के माध्यम से खाद वितरण किया गया। खाद लेने के लिए बेड़, बरोदा, बाकरा, खेरूना, टीटोडा सहित कई ग्राम पंचायतों के किसान बड़ी संख्या में शक्करगढ़ पहुंचे। सुबह से ही वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान कुल 780 कट्टे खाद का वितरण किया गया, लेकिन मांग अधिक होने के कारण कई किसान खाद नहीं मिलने से निराश होकर लौटे। किसानों का कहना है कि रबी सीजन के चलते खाद की आवश्यकता बढ़ गई है, जबकि आपूर्ति सीमित होने से परेशानी हो रही है। खाद वितरण कार्य में सहायक कृषि अधिकारी अमित कुमार जागेटिया, कृषि प्रवेक्षक मस्तराम मीना एवं अंजली मीना मौजूद रहे। आधार कार्ड सत्यापन के बाद ही किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया। किसानों ने विभाग से शीघ्र और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि सभी जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद मिल सके और फसल उत्पादन प्रभावित न हो।

खाद नहीं मिलने से निराश किसानों ने आक्रोश जताया।

राजगढ़ धाम में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया

अजमेर, (निसं)। राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मसाणिया भैरव धाम, राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी नसीराबाद देवी लाल यादव तथा विकास अधिकारी श्रीनगर महेश चौधरी की उपस्थिति में भैरव धाम परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई। चंपालाल महाराज ने सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता अभियान के लिए आभार व्यक्त किया। मंदिर समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 15 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, चित्र नक्षत्र दिन 11:09 तक, शोभन योग दिन 12:30 तक, बव करण प्रात: 8:05 तक, चन्द्रमा तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज पौष संक्रांति, सूर्य मूल धनु में प्रवेश रात्रि 4:20 पर करेगा। शुक्र अस्त पूर्ण में प्रात: 8:00 पर होगा। आज सफला एकादशी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:30 तक, शुभ 9:47 से 11:04 तक, चर 1:39 से 2:57 तक, लाभ-अमृत 2:57 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 7:12, सूर्यास्त 5:31 तक

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

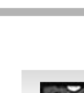

सिंह

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा।

तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन: स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

धार्मिक-सामाजिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। धार्मिक से कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

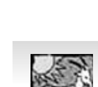

मकर

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

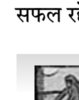

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

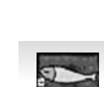

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।